



UPFD010005072014

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं० 92/2014

राज्यअभियोजनपक्ष

बनाम

- 1- शंकर सिंह ठाकुर पुत्र रामवीर सिंह,
 - 2- रामनरेश पुत्र शंकर सिंह,
 - 3- बड़े पुत्र शंकर सिंह,
 - 4- ठेकेदार पुत्र शंकर सिंह,
 - 5- राजीव पुत्र सोबरन सिंह,
 - 6- कल्लू पुत्र गुलाब सिंह,
- समस्त निवासीगण- कौरारी खेड़ा, थाना नगला खंगर, जिला फिरोजाबाद।
अभियुक्तगण।

मु०अ०सं० 110/2012

धारा- 147,149,323,

452,504,506 भा०द०सं०

व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट

थाना- नगला खंगर, जिला- फिरोजाबाद।

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 110/2012 में अभियुक्तगण शंकर सिंह ठाकुर, रामनरेश, बड़े, ठेकेदार, राजीव व कल्लू के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र संख्या 07/2012 अंतर्गत धारा 147, 149, 323, 452,

504, 506 भा०दं०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पंछी-लाल (Informant) द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3)द०प्र०-सं० का प्रार्थना पत्र प्रदर्शक-1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि-

"निवेदन है कि प्रार्थी अपनी भैसों को चारा खिलाने की नांद जो घर के सामने वाली पड़ी जमीन पर सड़क किनारे बनी थी दिनांक 07-06-2011 को समय करीब 05.00 बजे प्रार्थी के गाँव के ठाकुर बिरादरी के शंकर सिंह पुत्र श्री राम सिंह व बड़े तथा ठेकेदरा व राम नरेश पुत्र शंकर सिंह व राजीव पुत्र सोबरन सिंह व कल्लू पुत्र गुलाब सिंह समस्त निवासीगण कोरारी खेड़ा, थाना नगला खंगर ने आकर मेरी नांद को फावड़ा से तोड़ने लगे। प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो थप्पड़ व लात घूसों से मारापीटा। इसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाने पर की तो पुलिस व गांव के भले लोगों ने प्रार्थी का राजीनामा करा दिया और मेरी नांद को तोड़ने से बचा लिया। इस बात से उक्त लोगों को बुरा लगा। इसी कारण से दिनांक 09-06-2012 को समय करीब 07.00 बजे सुबह ठाकुर शंकर सिंह पुत्र रामवीर सिंह, रामनरेश पुत्र शंकर सिंह व शंकर सिंह के बेटे जिन्हें गांव में बड़े के नाम से पुकारा जाता है तथा दूसरे को ठेकेदार कहते हैं तथा राजीव पुत्र सोबरन सिंह तथा कल्लू पुत्र गुलाब सिंह समस्त निवासीगण कोरारी खेड़ा थाना नगला खंगर एक राय होकर अपने-अपने हाथों में लाठी, डण्डा और फावड़ा व बेलचा आदि लेकर आये और माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे और कहने लगे कि आज धोबिया तेरी नांद अब हम तोड़ रहे हैं तुझे जो करना हो सो कर ले और पुलिस लेकर आयेगा जा लेकर आ। मेरे साथ लाठी डण्डों से मारपीट करने लगे और सार्वजनिक जगह में गली में खड़े होकर मुझे जाति सूचक शब्द धोबिया कहकर अपमानित करने लगे। ठाकुरों के भय के कारण कोई व्यक्ति बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। किसी तरह प्रार्थी अपने घर में घुस गया तो मेरे पीछे-पीछे विपक्षीगण घर में घुस आये और मारपीट करने लगे तो प्रार्थी की पत्नी तपे-श्वरी देवी ने बचाया और गांव के मनोज व नवाब खाँ व गंगा देवी ने उक्त घटना को देखा है। मारपीट से मेरे शरीर में काफी चोटें आई हैं। जाते समय जान से मारने की धमकी दे गये कि साले धोबिया आज तो बच गया अबकी बार जान से मार देंगे। तू कितनी रिपोर्ट करने थाने जायेगा जा। मैं घायल अवस्था में अपनी पत्नी के साथ उक्त घटना की रिपोर्ट करने थाने गया तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और न ही डाक्टरी करायी। प्रार्थी अपना डाक्टरी मुआयना कराने

सरकारी अस्पताल शिकोहाबाद आया वहां अपना डाक्टरी मुआयना कराया कोई कार्यवाही न होने पर रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11-06-12 पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को रिपोर्ट भेज दी।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद को निर्देशित करने की कृपा करें कि प्रार्थी का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें।"

3. विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए थानाध्यक्ष नगला खंगर को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 110/2012 अभियुक्तगण शंकर सिंह ठाकुर, रामनरेश, बड़े, ठेकेदार, राजीव व कल्लू के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 149, 323, 452, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये घटनास्थल निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र उपरोक्त प्रेषित किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 207 द०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मामला सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

4. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्तगण शंकर सिंह ठाकुर, रामनरेश, बड़े, ठेकेदार, राजीव व कल्लू को आरोप के बिंदु पर सुना गया तथा दिनांक 30-09-2014 को धारा 147, 149, 323, 452, 504, 506 भा०द०सं० एवं धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने समस्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

धारा 147 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव था,
- (ii) यह कि ऐसा जमाव भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में उल्लिखित पांच उद्देश्यों में से एक रखने के कारण, जब यह आयोजित किया गया था, विधिविरुद्ध था या तत्पश्चात् विधिविरुद्ध हो गया था,
- (iii) यह कि ऐसा उद्देश्य ऐसे जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य था,
- (iv) यह कि अभियुक्त या ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य ने बल या हिंसा का प्रयोग किया; एवं,

(v) यह कि ऐसा बल या हिंसा का प्रयोग ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सा-
 मान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया था,

धारा 149 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अपराध विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कारित किया गया था; एवं
- (ii) यह कि ऐसा अपराध उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कारित किया गया था; एवं,
- (iii) यह कि कारित किया गया अपराध ऐसा होना चाहिए जिसे उस जमाव के सदस्य कारित किया जाना संभाव्य जानते थे।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 452 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने अतिचार कारित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में प्रवेश करके या अवैध रूप से रह करके किया;
- (iii) यह कि ऐसा निर्माण, तम्बू या जलयान मानव आवास या उपासना स्थल या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था;
- (iv) यह कि अभियुक्त ने ऐसा गृह अतिचार उपहति कारित करने या हमला करने या किसी व्यक्ति की उपहति, हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए किया।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया

(iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा (X) के प्रावधान के अनुसार- जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभिन्नस्त करेगा।

वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

5. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 नवाब खाँ	(चश्मदीद साक्षी)
2	PW-2 पंछीलाल	वादी मुकदमा (Informant)
3	PW- 3 तपेश्वरी देवी	(चश्मदीद साक्षी)
4	PW- 4 गंगा देवी	(चश्मदीद साक्षी)
5	PW- 5 हेड का० 471 साहब सिंह	चिक लेखक
6	PW- 6 शिशुपाल सिंह	विवेचक
7	PW- 7 रामनक्षत्र सिंह	द्वितीयक साक्षी

6. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 1
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 2
3	नकल रोजनामचा आम (G.D.)	प्रदर्श क- 3
4	जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र	प्रदर्श क- 4
5	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 5
8	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 6
9	मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क-7

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षियों एवं प्रपत्रों को गलत बताया और यह कथन किया है कि अभियोजन साक्षियों ने झूठा बयान दिया है। स्वयं को गाँव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाना कहा और स्वयं को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष की ओर अन्य कोई मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

8. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 नवाब खाँ को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"आज से लगभग ढाई साल पहले सुबह के 07.00 बजे मुल्जिमान शंकर सिंह, रामनरेश, बड़े, ठेकेदार, राजीव एवं कल्लू ने एक राय होकर वादी पंछीलाल के घर में घुसकर मेरे सामने कोई मारपीट नहीं की थी, ना ही गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी, ना ही जाति सूचक शब्द कहे थे।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 पंछीलाल वादी मुकदमा को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घर के सामने सड़क के किनारे चारा खाने वाली नांद गद्दी थी। उसे तोड़ने के लिये शंकर सिंह, बड़े, ठेकेदार, रामनरेश, कल्लू व राजीव आये। दिनांक 07-06-12 को समय करीब शाम के 05.00 बजे आये थे। ये लोग ठाकुर जाति के हैं। हम लोग धोबी जाति के हैं। जब ये लोग नांद तोड़ने आये तो हम लोगों ने पुलिस को सूचना की। पुलिस ने आकर हम लोगों का राजी-नामा करा दिया। जो पत्रावली पर कागज सं० 9 ब/3 कार्बन प्रति संलग्न है। पुनः दिनांक 09-06-2012 को सुबह 07.00 बजे शंकर सिंह, बड़े, ठेकेदार, रामनरेश, कल्लू, राजीव आये। इन लोगों के हाथ में लाठी, डण्डा, बेलचा थे। आकर बोले आ धोबिया नांद तेरी तोड़ेंगे आकर रोक ले। गन्दी-गन्दी गालियां दी। जब हमने रोकने से मना किया तो मारपीट करने लगे व घर में घुस गये। मैं घर में भागा था तब ये लोग एक राय होकर घर में घुस आये और घर में ही मारपीट की। मारपीट मेरी पत्नी तपेश्वरी देवी, नैना देवी ने हमें बचाया था। उसके बाद हमने थाने पर सूचना अपनी पत्नी को ले जाकर की थी। थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब मैं शिकोहाबाद सरकारी अस्पताल में अपना डाक्टरों मुआयना कराया। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तब एस०पी० साहब को रजिस्ट्री द्वारा भेजा। तब मैंने श्रीमान अपने अधिवक्ता द्वारा श्रीमान सिविल जज जू०डि० शिकोहाबाद के न्यायालय में 156(3) द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र दिनांक 13-06-12 को दिया। जो पत्रावली पर 3 अ/1 व 3 अ/2 पत्रावली पर संलग्न है। यह वहीं प्रार्थना पत्र है जो मैंने दिनांक 13-06-12 में न्यायालय में दिया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 तपेश्वरी देवी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना आज से लगभग चार साल दो महीने पहले की है। यह घटना दिनांक 07-06-12 शाम के 5.00 बजे की है। मेरी नांद सड़क किनारे बनी हुई थी। उस दिन शंकर सिंह, रामनरेश, बड़े, राजीव व कल्लू, ठेकेदार आये। आते ही नांद तोड़ दी। हम लोगों ने विरोध किया तो लात, घूसों से मारापीटा। मेरे पति के साथ मारपीट की थी तथा मेरे साथ गाली-गलौज व जाति सूचक शब्द कहे थे। इस घटना में राजीनामा करा दिया था पुलिस व गांव वालों ने राजीनामा करा दिया था। उसके दो दिन बाद उपरोक्त सभई लोग सुबह के 07.00 बजे यह लोग लाठी, डण्डा, फावड़ा, बेलचा लेकर हमारे घर में घुस आये और मेरे पति पंछीलाल के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आयी

तथा मेरे साथ गाली-गलौज की तथा जाति सूचक शब्द धोबिया कहा। मौके पर गांव के मनोज, नवाब सिंह, गंगा देवी आदि बहुत से लोग आ गये। मु-ल्लिमान ठाकुर जाति के हैं और मैं धोबी जाति की हूँ।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 गंगा देवी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"आज से लगभग सवा चार साल पहले सुबह 07.00 बजे की है। मैं उस दिन अपने बहनोई पंछीलाल के घर थी। तभी शंकर, रामनरेश, बड़े, ठे-केदार, कल्लू, राजीव आये। हमारे बहनोई पंछीलाल को गाली-गलौज करने लगे और गालियां दी कि साले मादरचोद धोबिया तुझे देख लेंगे। नांद तोड़ दी तथा मेरे बहनोई पंछीलाल के साथ लाठी, डण्डों से मारपीट की। मारपीट अन्दर घर में घुसकर हुई थी। वहाँ बहुत से अन्य लोग मौहल्ले पड़ोस के आ गये थे। मैं वहाँ मौके पर थी। मैं धोबी जाति की हूँ। मुल्लिमान ठाकुर जाति के हैं। जाते-जाते मुल्लिमान कह गये कि साले देखेंगे।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 हेड का० 471 साहब सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 28-07-2012 को थाना नगला खंगर पर का० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन न्यायालय के आदेश से मैंने वादी मुक-दमा पंछीलाल पुत्र नाथूराम, निवासी कोरारी खेड़ा, नगला खंगर जिला फि-रोजाबाद के आधार पर मु०अ०सं० 110/2012, धारा 147, 452, 323, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में बनाम ठाकुर शंकर सिंह आदि 6 नफर के विरुद्ध मुकदमा किता किया था। जिसका खुलासा मैंने रोजनामचाआम में रपट सं० 29/28-07-12 समय 18.15 बजे किया था। जी०डी० असल नष्ट हो चुकी है। जिसका प्रमाण पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से लेकर आया हूँ। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जी०डी० को प्रमाणित करता हूँ। चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया तथा जी०डी० पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया तथा प्रमाणपत्र जी०-डी० नष्ट पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 6 विवेचक शिशुपाल सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 6 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 29-07-2012 को क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 110/2012, धारा 147, 452,

323, 504, 506 भा०दं०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम ठाकुर शंकर सिंह आदि 6 नफर की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। पर्चा नं० 1 में नकल रपट, नकल चिक, नकल आदेश न्यायालय, मेडिकल रिपोर्ट, बयान लेखक एफ०आई०आर० सी०सी० साहब सिंह के अंकित किये थे। पर्चा नं० 2 में बयान वादी पंछीलाल, बयान वादी की साली गंगा देवी उर्फ विमला देवी, बयान वादी की पत्नी तपेश्वरी देवी अंकित किये थे। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 5 अ नक्शा नजरी है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस नक्शा नजरी पर प्रदर्शक-5 अंकित किया गया। इसी दिन मैंने समाई साक्ष्य चन्द्रपाल सिंह, प्रेमपाल, डा० सुरजीत के बयान अंकित किये। पर्चा नं० 3 में गवाहान एफ० आई० आर० नवाब खाँ अंकित किये। पर्चा नं० 4 में अभियुक्तगण शंकर सिंह ठाकुर, रामनरेश, बड़े, ठेकेदार, राजीव व कल्लू अंकित किये। साक्ष्य उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर 4 अ है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस आरोप पत्र पर प्रदर्शक-6 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 7 रामनक्षत्र सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 7 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं इस समय जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में रिकार्ड की-पत/फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हूँ। दिनांक 10-06-2012 को समय 12.05 PM को मजरुब बंशीलाल पुत्र श्री नाथूराम निवासी कोरारी खेड़ा थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद का डाक्टर परीक्षण डाक्टर सुरजीत सिंह द्वारा किया गया है। मैं रजिस्टर MLVC दिनांक 04-06-2012 से 27-09-2012 तक का लेकर आया हूँ। जिसमें डा० सुरजीत सिंह द्वारा मजरुब का डाक्टर परीक्षण होना अंकित है। मजरुब के हस्ताक्षर भी हैं। अंगूठा निशानी भी है, जो डा० सुरजीत सिंह द्वारा प्रमाणित की गयी है। असल डाक्टर परीक्षण आज दाखिल पत्रावली पर किया जा रहा है जो कि कागज सं० 66 अ है, जो डाक्टर सुरजीत सिंह ने रिकार्ड के अनुसार लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्शक-7 अंकित किया गया। इस मेडिकल रिपोर्ट की कार्बन प्रति रजिस्टर MLVC में लगी है।"

9. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

10. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हिंसा का प्रयोग करते हुए वादी को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी, वादी के घर में जबरन घुसकर गृह अतिचार किया गया, वादी को भद्दी-भद्दी गालियां दी गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी? क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दी गयी ?

11. अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 09-06-12 समय लगभग प्रातः 07.00 बजे वहद स्थान मकान वादी ग्राम कोरारी खेड़ा, थाना नगला खंगर, जिला फिरोजाबाद की है। घटना के सम्बन्ध में वादी पं-छीलाल पी०डब्लू० 2 ने शपथपूर्वक कथन करते हुए कहा कि उसके घर के सामने सड़क किनारे चारा खाने वाली नांद गड़ी थी। उसे तोड़ने के लिए अभियुक्तगण शंकर सिंह, बडे तथा ठेकेदार व राम नरेश पुत्र शंकर सिंह व राजीव पुत्र सोबरन सिंह व कल्लू पुत्र गुलाब सिंह आये। दिनांक 07-06-12 को शाम लगभग 05.00 बजे आये। अभियुक्तगण ठाकुर जाति के हैं। वादी और उसका परिवार धोबी जाति का है। जब अभियुक्तगण नांद तोड़ने आये तो पुलिस पक्ष ने आकर सुलह समझौता करा दिया। उक्त सुलह समझौता पत्रावली पर 9 ब/3 है, जो कार्बन प्रति है। पुनः दिनांक 09-06-12 को प्रातः 07.00 बजे उक्त अभियुक्तगण हाथ में लाठी, डण्डा और बेलचा लिये आये और बोले कि "धोबिया नांद तोड़ देंगे आकर रोक ले।" अभियुक्तगण ने गंदी-गंदी गालियां दी। रोकने से मना करने पर मारपीट करने लगे और घर में घुस गये। वादी घर में भागा तो अभियुक्तगण एक राय होकर घर में घुस आये और घर में मारपीट किया। मारपीट से वादी की पत्नी तपेश्वरी देवी और गंगा देवी ने बचाया। इसके पश्चात वादी ने सूचना थाना पर जाकर दिया। रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। वादी ने शिकोहाबाद सरकारी अस्पताल में जाकर अपना चिकित्सीय परीक्षण कराया। उसके पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री द्वारा सूचना दी गयी। इसके पश्चात भी कार्यवाही न होने पर न्यायालय में धारा 156(3) द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र दिनांक 13-06-2012 को दिया। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली पर 3 अ/1 ता 3 अ/2 है। उस पर वादी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। प्रार्थना पत्र अन्त-र्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० पर प्रदर्श क-1 डाला गया। प्रति-परीक्षा में भी वादी पी०डब्लू० 1 ने कहा कि थाने पर गया था, किन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 हेड का० साहब सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में शपथपूर्वक कथन किया है कि "मैं दिनांक 28-

07-2012 को थाना नगला खंगर पर का० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन न्यायालय के आदेश से मैंने वादी मुकदमा पंछीलाल पुत्र नाथूराम, निवासी कोरारी खेड़ा, नगला खंगर जिला फिरोजाबाद के आधार पर मु०अ०सं० 110/2012, धारा 147, 452, 323, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में बनाम ठाकुर शंकर सिंह आदि 6 नफर के विरुद्ध मुकदमा किता किया था। जिसका खुलासा मैंने रोजनाम-चाआम (G.D.) में रपट सं० 29/28-07-12 समय 18.15 बजे किया था। जी०डी० असल नष्ट हो चुकी है। जिसका प्रमाण पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से लेकर आया हूँ। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जी०डी० को प्रमाणित करता हूँ। चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया तथा जी०डी० पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया तथा प्रमाणपत्र जी०डी० नष्ट पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया।" प्रति-परीक्षा में भी साक्षी ने इस बात को दोहराया है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय के आदेश के आधार पर पंजीकृत की गयी थी। बचाव पक्ष की ओर से प्रथमतः तर्क दिया गया है कि अभियोजन की ओर से विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क में बल नहीं है क्योंकि वादी पी०डब्लू० 2 पंछीलाल व उसकी पत्नी पी०डब्लू० 3 के शपथपूर्वक बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण दिनांक 07-06-12 को वादी की नांद को तोड़ने के लिए एक राय होकर आये थे। जिसकी सूचना पुलिस की दी गयी थी। स्थानीय पुलिस ने आकर पक्षकारों के मध्य सुलह-समझौता करा दिया गया। सुलह-समझौता की कार्बन प्रति 9 ब/3 से स्पष्ट है कि पुनः दिनांक 09-06-12 को अभियुक्तगण एक राय होकर प्रातः 07.00 बजे आये और लाठी, डण्डों व बेलचा से लैश थे। धोबिया कहकर गाली-गलौज किया। गंदी-गंदी गालियां दी। गाली-गलौज व मारपीट करने से रोका गया। वादी भागकर घर में घुस आया तो अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गयी। घटना की सूचना तत्काल सम्बन्धित थाना पर दी गयी, किन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विवश होकर वादी पी०डब्लू० 2 पंछीलाल ने विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं० 295/12 पंछीलाल बनाम ठाकुर शंकर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० प्रस्तुत किया। समर्थन में शपथ पत्र भी दिया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक सुनवाई के उपरान्त आदेश दिनांक 28-06-12 पारित करते हुए थाना नगला खंगर की पुलिस को निर्देशित किया कि वह प्रार्थना पत्र के आलोक में समुचित धाराओं

में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना अग्रसारित करें। अग्रेतर विवेचना के उपरा-
 न्त घटना की सत्यता को प्रमाणित पाते हुए सुसंगत साक्ष्य एकत्र कर
 आरोप पत्र प्रदर्शक-6 न्यायालय प्रेषित किया गया और धारा 207 का
 अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रकरण दिनांक 04-03-2014 को सत्र सुपुर्द
 किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि घटना के तत्काल बाद वादी द्वारा विधिक
 कार्यवाही करने के उद्देश्य से सम्बन्धित थाने पर सूचना दी गयी। वादी की
 ओर से इस सम्बन्ध में कोई अनुचित विलम्ब कारित नहीं किया गया। अग्रेतर
 बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्ष्यों के
 आलोक में अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप कदापि संदेह से परे
 सिद्ध नहीं हैं। क्योंकि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 नवाब खाँ जिन्हें
अभियोजन द्वारा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना अभिलिखित किया था उसने
घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। नवाब खाँ को पी०डब्लू० 1 के
 रूप में परीक्षित किया गया है जो वादी और अभियुक्तगण सह ग्रामवासी है।
 पी०डब्लू० 1 नवाब खाँ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि ढाई साल पूर्व
 अभियुक्तगण द्वारा उसके सामने कोई घटना और मारपीट नहीं की गयी, ना
 ही गाली-गलौज की गयी और ना ही धमकी दी गयी। इस साक्षी ने अपनी
 प्रति-परीक्षा में कहा कि पुलिस द्वारा अर्थात् विवेचक द्वारा उसका कोई बयान
 अंकित नहीं किया गया। धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान से
 मुकर गया। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रति-परीक्षा की गयी। प्रति-परी-
क्षा में भी ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक को
समर्थन मिले। किन्तु यहाँ पर यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि वादी पंछीलाल
और उसकी पत्नी के साक्ष्यों से घटना कारित किया जाना पूर्णतः सिद्ध है।
यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 09-06-12 के पूर्व भी अभियुक्तगण शंकर सिंह,
रामनरेश, बड़े, ठेकेदार, राजीव एवं कल्लू एक राय होकर वादी द्वारा गाड़ी गयी
चारा खाने की नांद को तोड़ने का उपक्रम किया गया। अर्थात् 07-06-12
को शाम 05.00 बजे अभियुक्तगण एक राय होकर आये थे और उक्त नांद को
तोड़ने लगे थे। स्थानीय पुलिस मौके पर आ गयी थी और उस दिन सुलह-
समझौता करा दिया गया था। पुनः दिनांक 09-06-12 को अभियुक्तगण
आये और लाठी, डण्डों, बेलचा से लैश थे। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 2
वादी पंछीलाल ने कहा कि पुनः दिनांक 09-06-12 को सुबह 07.00 बजे
शंकर, बड़े, ठेकेदार, रामनरेश, कल्लू व राजीव आये। इन लोगों के हाथ में
लाठी, डण्डा, बेलचा था, आकर बोला कि "आ धोबिया नांद तेरी तोड़ेंगे
आकर रोक ले। गंदी-गंदी गालियां दी। जब हमने रोकने से मना किया तो

मारपीट करने लगे व घर में घुस गये। मैं घर में भागा था तब ये लोग एक राय होकर घर में घुस आये और घर में ही मारपीट की। मारपीट मेरी पत्नी तपेश्वरी देवी, गंगा देवी ने हमें बचाया था। प्रति-परीक्षा में पंछीलाल ने कहा कि मेरा घर शंकर सिंह के मकान से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। शंकर सिंह का खेत व मेरे मकान की दूरी 30 मीटर होगी। नवाब खाँ मेरे गांव के ही हैं। जब घटना घटित हुई थी तब नवाब खाँ अफने घर थे। फिर कहा कि घर पर नहीं थे। घटना के बाद मैं थाने गया था। वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। तब मैंने एस०पी० के यहाँ रिपोर्ट की थी। वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तब मैं कचहरी अपने वकील के पास आया था। तब मैंने दरखास्त लिखाई थी। पी०डब्लू० 3 तपेश्वरी देवी, पी०डब्लू० 2 पंछीलाल वादी की पत्नी हैं। पी०डब्लू० 2 तपेश्वरी देवी ने घटना दिनांक 07-06-12 को शाम 05.00 बजे की होना कहा। अग्रेतर कहा कि मेरी नांद सड़क किनारे बनी थी। उस दिन शंकर सिंह, रामनरेश, बड़े, राजीव व कल्लू ठेकेदार आये। आते ही नांद तोड़ दी। हम लोगों ने विरोध किया तो लात, घूसों से मारापीटा। मेरे पति के साथ मारपीट की थी तथा मेरे साथ गाली-गलौज व जाति सूचक शब्द कहे थे। अग्रेतर कहा कि उस घटना में राजीनामा करा दिया था पुलिस व गांव वालों ने राजीनामा करा दिया था। उसके दो दिन बाद उपरोक्त सभी लोग सुबह के 07.00 बजे यह लोग लाठी, डण्डा, फावड़ा, बेलचा लेकर हमारे घर में घुस आये और मेरे पति पंछीलाल के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आयी तथा मेरे साथ गाली-गलौज की तथा जाति सूचक शब्द "धोबिया" कहा। मौके पर गांव के मनोज, नवाब सिंह, गंगा देवी आदि बहुत से लोग आ गये। मुल्जिमान ठाकुर जाति के हैं और मैं धोबी जाति की हूँ। पी०डब्लू० 3 ने भी घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाये जाने के सम्बन्ध बताया है और पी०डब्लू० 2 वादी के साथ जाने का कथन किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे पति ने लिखाई थी। 07 तारीख को पुलिस घर पर आई थी और गाँव के बहुत से लोगों के घर पर गयी थी। उक्त घटना में पुलिस द्वारा राजीनामा करा दिया था। अग्रेतर कहा कि मेरे पति का मेडिकल शिकोहाबाद में हुआ था। मैं अपने पति के साथ मेडिकल कराने गयी थी। पुलिस साथ में नहीं गयी थी। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया। जब झगड़ा हुआ तब मैं पति के साथ साथ थी। मैंने बचाने की कोशिश की थी। मेरे भी चोटें आई थी, किन्तु डाक्टरी नहीं हुई थी। घर से नांद की दूरी 4-5 कदम की दूरी होगी।

पी०डब्लू० 4 के रूप में गंगा देवी पत्नी श्री नैपाल सिंह को परीक्षित किया गया है, जो कुतकपुर थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद की

निवासी है। पी०डब्लू० 4 ने कहा कि घटना आज से लगभग सवा चार साल पहले सुबह 07.00 बजे की है। मैं उस दिन अपने बहनोई पंछीलाल के घर थी। तभी शंकर, रामनरेश, बड़े, ठेकेदार, कल्लू, राजीव आये। हमारे बहनोई पंछीलाल को गाली-गलौज करने लगे और गालियां दी कि साले मादरचोद धोबिया तुझे देख लेंगे। नांद तोड़ दी तथा मेरे बहनोई पंछीलाल के साथ ला-ठी, डण्डों से मारपीट की। मारपीट अन्दर घर में घुसकर हुई थी। वहाँ बहुत से अन्य लोग मौहल्ले पड़ोस के आ गये थे। मैं वहाँ मौके पर थी। मैं धोबी जा-ति की हूँ। मुल्जिमान ठाकुर जाति के हैं। जाते-जाते मुल्जिमान कह गये कि साले देखेंगे। प्रति-परीक्षा में आया है कि पी०डब्लू० 4 का गांव 20-25 किलोमीटर दूर है। इस घटना से पहले भी घटना 07 तारीख को घटित हुई थी, किन्तु मैं उस दिन मौके पर मौजूद नहीं थी। साक्षी पी०डब्लू० 4 ने वादी पंछीलाल और शंकरलाल का मकान नहीं देखा है, किन्तु कहा कि इनके मकानों के बीच की दूरी एक किलोमीटर होगी। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं घटना के बाद अपने घर चली गयी थी। पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया था। घर में घुसकर मारपीट करने वाली बात मैंने पुलिस को बताई थी। यदि मेरे बयान में नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। घटना के समय नवाब खाँ, मनोज और बहुत सारे लोग आ गये थे। नवाब खाँ ने घटना में बची-बचाव किया था। शंकरलाल के हाथ में बेलचा व उनके लड़-कों के हाथ में दराती व डन्डे थे। मैं घटना के बीच में नहीं बोली थी। मेरे चोटें नहीं आई थी। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि पी०डब्लू० 4 घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसने अपने बयान में प्रति-परीक्षा में कहा कि उसने शंकरलाल का मकान ही नहीं देखा है। यह भी तथ्य उल्ले-खनीय है कि पी०डब्लू० 2 पंछीलाल ने अवश्य कहा कि उसे बचाने के लिए तपेश्वरी देवी और गंगा देवी आई थी किन्तु अपने बयान में नहीं आया कि वह रिश्ते में साली लगती है और घटना के दिन आई थी। पी०डब्लू० 3 तपेश्वरी का गंगा देवी को घटना के समय आने का कथन अवश्य ही कहा किन्तु यह कदापि नहीं कहा कि गंगा देवी उसकी रिश्ते में बहन लगती है और घटना के दिन मौके पर आई थी। पी०डब्लू० 4 गंगा देवी की उपस्थिति घटना स्थल पर संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि जब शंकरलाल का घर ही नहीं पता है तब उस स्थिति में घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध है।

शिशुपाल सिंह तत्कालीन क्षेत्राधिकारी को पी०डब्लू० 6 के रूप में परीक्षित किया गया है। उनके द्वारा विवेचना अग्रसारित कि गयी है और घटना स्थल का निरीक्षण कर वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया

गया। नक्शा नजरी पत्रावली पर प्रदर्श क-5 है। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रदर्श क-6 न्यायालय में प्रेषित किया गया। मेडिकल परीक्षण करने वाले डाक्टर सुरजीत सिंह, समई साक्षी चन्द्रपाल व प्रेमपाल के बयान अंकित किया गये। गंगा देवी का बयान लेने का कथन किया। यद्यपि कि पी०डब्लू० 2 पंछीलाल ने अपने बयान में यह कहा कि पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिखा और ना ही उसके सामने कोई नक्शा नजरी तैयार किया गया, किन्तु उक्त बयान का अर्थ कदापि नहीं है कि विवेचक पी०डब्लू० 6 द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण न किया गया हो और वादी और उसकी पत्नी का बयान न अंकित किया गया हो। वादी और उसकी पत्नी विशुद्ध रूप से ग्रामवासी हैं और पेशेवर साक्षी नहीं हैं। प्रस्तुत मामले की विवेचना एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी और यह उपधारणा का जायेगी की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचना विधि सम्मत ढंग से की गयी, जिसमें घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया जाना और साक्षियों का बयान अंकित किया जाना सम्मिलित है। यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि चोटहिल /वादी पी०डब्लू० 2 का स्थानीय पुलिस द्वारा कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया, किन्तु पी०डब्लू० 2 पंछीलाल ने स्वयं शिकोहाबाद सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है। जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-7 के अवलोकन से स्पष्ट है, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-7 के अनुसार चोटहिल पंछीलाल दिनांक 10-06-12 को समय 12.05 PM पर परीक्षित किया गया। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। जो किसी कुंद और कठोर औजार से कारित की जानी प्रतीत हुई। उक्त चोटें लगभग एक दिन पुरानी थी। मेडिकल रिपोर्ट को साबित करने के लिए द्वितीयक साक्षी के रूप में रामनक्षत्र सिंह पी०डब्लू० 7 को परीक्षित किया गया। इस साक्षी ने भी अपने रिकार्ड के आधार पर शपथपूर्वक कथन किया कि दिनांक 10-06-12 को चोटहिल पंछीलाल पुत्र नाथूराम, निवासी कोरारी खेड़ा थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद का डाक्टरी परीक्षण डा० सुरजीत सिंह द्वारा किया गया। यह साक्षी मेडिको लीगल रजिस्टर दिनांक 04-06-12 से 27-09-12 के रजिस्टर को लेकर उपस्थित आया, जिसमें चोटहिल का परीक्षण डा० सुरजीत सिंह द्वारा किया जाना अंकित है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चोटहिल को निम्न-लिखित चोटें आना दर्शित किया गया है-

1- Contused swelling 1cmX1cm on RT side of back of head 5cm behind from RT Ear. Blush in Colour.

2- Contusion 12cmX2cm on RT side of back bon medial RT scoula. Bluish in colour.

3- Contusion 12cmX2cm on Lt side of back in Thoracic region below from Lt scapula.

4- Contusion 3cmX2cm on top of Lt shoulder joint. Bluish in Colour.

5- Contusion 4cmX2cm on Lt side of chest lion below from Lt Nipple. Bluish in colour.

Opinion- All above injury are simple in nature. Caused by blunt & hard object.

Duration- In about one day old.

पत्रावली पर नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 है जिसे साक्षी पी०डब्लू० 6 शिशुपाल सिंह द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें घटना स्थल को यथा-स्थान दिखाते हुए अक्षर "B" से वह स्थान दिखाया गया जहाँ से वादी को मारपीट की गयी है।

उपरिवर्णित साक्ष्यों के आधार पर यह बात सिद्ध है कि दिनांक 07-06-2011 को समय करीब 05.00 बजे वादी पंछीलाल के गाँव के शंकर सिंह, बड़े, ठेकेदार, रामनरेश, राजीव व कल्लू निवासीगण कोरारी खेड़ा थाना नगला खंगर फिरोजाबाद ने आकर वादी की नांद को फावड़ा से तोड़ने लगे तो वादी ने इसका विरोध किया तो अभियुक्तगण ने उसे थप्पड़ व लात, घूसों से मारने पीटने लगे। वादी ने इसकी रिपोर्ट थाने पर की तो पुलिस गाँव में आयी और वादी व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा करा दिया और वादी की नांद को तोड़ने से बचा लिया। जिसके पश्चात दिनांक 09-06-2012 को समय करीब 07.00 बजे सुबह उपरोक्त अभियुक्तगण एक राय होकर अपने हाथों में लाठी, डण्डा और फावड़ा व बेलचा आदि लेकर आये और माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे और कहने लगे कि आज "धोबिया तेरी नांद अब हम तोड़ रहे हैं तुझे जो करना हो सो कर ले और पुलिस लेकर आयेगा जा लेकर आ।" वादी भागकर घर में घुस गया तो अभियुक्तगण घर में घुस आये और मारपीट करने लगे तो वादी पंछीलाल की पत्नी तपेश्वरी देवी उसे बचाने आयी तो उसके साथ भी मारपीट की। वादी अपनी पत्नी के साथ थाने रिपोर्ट लिखाने गया तो स्थानीय पुलिस द्वारा न तो उसकी रिपोर्ट लिखी गयी और ना ही उसका मेडिकल कराया गया। तब वादी ने अपना डाक्टरी मुआयना स्वयां सरकारी अस्पताल शिकोहाबाद में कराया। वादी की रिपोर्ट थाने

पर नहीं लिखे जाने पर उसने न्यायालय में धारा 156(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई उपरान्त न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने का आदेश दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने में वादी की ओर से कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया, बल्कि उसके द्वारा भरसक प्रयास किया कि रिपोर्ट दर्ज करायी जाये। जाँच उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। वादी पी०डब्लू० 1 पंछीलाल ने स्वयं अपना चिकित्सीय परीक्षण शिकोहाबाद सरकारी अस्पताल में कराया जहाँ पर डा० सुरजीत सिंह द्वारा चोटहिल पंछीलाल का दिनांक 10-06-2012 को 12.05 PM बजे परीक्षण किया और परीक्षण उपरान्त वादी पंछीलाल के शरीर पर चोटें पाई गयीं। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थीं जो किसी कुंद व कठोर हथियार से कारित की गयी थीं। चोटहिल के शरीर पर जो चोटें पाई गयीं। वह स्वकारित चोटें नहीं थीं अपितु अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयीं चोटों के कारण आई थीं। विवेचक द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्शक-5 में जो घटना स्थल दर्शाया गया है उक्त घटना स्थल से वादी द्वारा बताये गये घटना स्थल से तारतम्य है। धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत जो बयान विवेचक द्वारा अंकित किये गये हैं उसमें और न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों में यत्र-तत्र विरोधाभास परिलक्षित होते हैं लेकिन वह तात्त्विक प्रकृति के नहीं हैं। अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू० 1 नवाब खाँ को परीक्षित किया गया है जो न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। मिथ्या साक्ष्य दिये जाने के आलोक में उनके विरुद्ध धारा 344 द०प्र०सं० की कार्यवाही किया जाना भी समिचीन है। अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हिंसा का प्रयोग करते हुए वादी को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी, वादी के घर में जबरन घुसकर गृह अतिचार किया गया, वादी को भद्दी-भद्दी गालियां दी गयीं तथा जान से मारने की धमकी दी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ साशय किया। यह जानते हुए किया गया कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। मामले में साक्षियों की संख्या के स्थान पर उनके साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आलोक में यह बात सिद्ध है कि अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है। अभियोजन अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा 147,452,323/149,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०-

सी०/ एस०टी० एक्ट को युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्तगण द्वारा 313 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित किये गये बयानों में मात्र यह कहा गया कि उन्हें गाँव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। सफाई साक्ष्य के रूप में किसी भी मौखिक साक्षी को नहीं पेश किया गया है। गाँव की रंजिश के कारण झूठा मुकदमा चलाये जाने का कथन किया गया। क्या रंजिश थी, इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण शंकर सिंह ठाकुर, रामनरेश, बड़े, ठेकेदार, राजीव एवं कल्लू द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 147,452,323/149,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०-सी०/ एस०टी० एक्ट कारित किया गया है। अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण शंकर सिंह ठाकुर, रामनरेश, बड़े, ठेकेदार, राजीव एवं कल्लू को आरोप अंतर्गत धारा 147,452,323/149,504,506 भा०द०-सं०, व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

उनकी जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उनके जामीनदारों को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

साक्षी पी०डब्लू० 1 नवाब खाँ द्वारा मिथ्या साक्ष्य दी गयी है और पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः उसके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य न्यायालय में दिये जाने के कारण धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विविध वाद दर्ज हो तथा उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 29.09.2023

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट

फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयो-जन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्तगण/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण एक परिवार व गरीब हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

(1) अभियुक्त शंकर सिंह ठाकुर निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये

के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(2) अभियुक्त रामनरेश निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो

हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(3) अभियुक्त बड़े निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(4) अभियुक्त ठेकेदार निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (एक हजार रुपये)

रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(5) अभियुक्त राजीव निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(6) अभियुक्त कल्लू निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये

के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि चोटहिल / पीड़ित को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 29.09.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 29.09.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193